

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय
691

मांक : वाद / 2022 /
प्रार्थी

1. गोमदराम पुत्र जेठाराम
2. धर्मराम पुत्र जेठाराम
जाति जाट पटवारा

18/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (300)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 691

दिनांक : 18/5/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोमदराम पुत्र जेठाराम,
2. धर्मराम पुत्र जेठाराम,
जाति जाट, निवासी लुणाड़ा,
पटवार मण्डल लुणाड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. भवराराम पुत्र सिदाराम वगैरा 28,
जाति मेघवाल, निवासी लुणाड़ा,
पटवार मण्डल लुणाड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 126 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लुणाड़ा, पटवार मण्डल - लुणाड़ा, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1065, 1491/1165, 1494/1165 रकबा क्रमशः 6.8765, 11.3098, 4.5304 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक-बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 692-696

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गोमदराम पुत्र जेठाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री भवराराम पुत्र सिदाराम वगैरा 28,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक-बाड़मेर